प्रेस नोट-दिनांक-05.11.2024

थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

◆थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा ईट भट्टा लक्ष्मी उद्योग ग्राम डेढगावा में घटित छिनैती की घटना का किया गया सफल अनावरण

◆छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर अभियुक्तों को छिनैती के रुपयों के साथ किया गया गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त एक तमंचा मय कारतूस किया गया बरामद

घटना संक्षिप्त विवरण-दिनांक 04.11.2024 को समय 16.30 बजे वादी सन्तोष सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी ग्राम डेढगांवा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली के ईट भट्टा लक्ष्मी उद्योग ग्राम डेढगावा पर बाइक से अभियुक्तगण आये और भट्टा मुन्शी अर्जुन राम पुत्र स्व0 सीताराम व रिंकु सिंह पुत्र स्व0 शमशेर सिंह व वकील खरवार पुत्र स्व रामजनम खरवार से हाथापाई करके तमंचा दिखाकर मौके से झोले में रखा 81,000 रुपया नगद छिनकर भाग गये तथा जाते जाते ड्राइवर वकील खरवार से बोले कि तुम्हारा मालिक जहां भी हो उसे बता देना कि शाम तक 5,00,000 (पांच लाख) भेज दे नही तो जहाँ भी मिलेगा उसे हम लोग गोली मार देंगे तथा उसी समय दोनो अभियुक्तगण अपना नाम पता भी बताकर गये थे।उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 180/2024 धारा 115(2),308(4),309(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित थी।

पुलिस कार्यवाही-चंदौली-पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु वांछित/वारण्टीयों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के गहन पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2024 धारा 115(2),308(4),309(4) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्तगण 1.अभिषेक सिंह उर्फ लल्ला पुत्र विजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ बच्चा सिंह निवासी ग्राम आवाजापुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली 2.सुर्याश सिंह उर्फ तन्नु पुत्र स्व0 योगेद्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम हरिनाथपुर थाना फुलपुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक 05.11.2024 धरहरा नहर पुलिया बहद् ग्राम धरहरा से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तगण-

1.अभिषेक सिंह उर्फ लल्ला सिंह पुत्र विजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ बच्चा सिंह निवासी ग्राम आवाजापुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली उम्र 26 वर्ष

2.सुर्याश सिंह उर्फ तन्नु पुत्र स्व0 योगेद्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम हरिनाथपुर थाना फुलपुर जनपद वाराणसी उम्र 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.छिनैती का 80,000/-रुपया नगद बरामद

2.घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

3.दो मोबाइल (एक वन प्लस व एक रेडमी कम्पनी)

अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ लल्ला सिंह का पुर्व अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-70/2024 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

बरामदगी एंव गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 जनक सिंह चौकी प्रभारी डेढावल कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

3.हे0का0 अवधेश कुमार कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

4.हे0का0 मुकेश कुमार कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

5.का0 प्रश्विन कुमार दूबे कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

6.का0 रणविजय कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली

◆थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा आवेदक की फ्राड धनराशि-3000/- रुपये वापस कराया गया।

चंदौली- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एंव पुलिस उपाधीक्षक राजीव कुमार सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदक नरेश राय पुत्र स्व रामकन्डे राय निवासी चतुरभुजपुर, सकलडीहा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली का फ्राड तरीके से 3000/- रुपये की आनलाइन धोखाधडी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में नरेश राय उपरोक्त द्वारा थानाध्यक्ष के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 3000/- रुपये को आवेदक के खातें में वापस करायी गयी। आवेदक नरेश राय उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक थाना साइबर क्राइम, साइबर थानाध्यक्ष एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया।

आवेदक का नाम/पता-

1.नरेश राय पुत्र स्व रामकन्डे राय निवासी चतुरभुजपुर, सकलडीहा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगीः-

दिनांक– 05.11.2024 वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 3000/-

दिनांक घटना- 19.07.2024

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0 नि0 वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)

2.हे0का0 सुनील कुमार मिश्रा

3.का0 अनिल कुमार

4का0 आशुतोष भारद्वाज

5.का0 मनोज चौहान

6.का0 सन्तोष कुमार यादव

यातायात पुलिस चंदौली

◆यातायात माह नवंबर में यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चलाया वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 1374 वाहनों का चालान करते हुए 13,42,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस के संचालित ऑटो का भी किया जा रहा चालान

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा यातायात माह नवंबर के अवसर पर जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 1374 वाहनों का चालान करते हुए 13,42,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।*

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-741

2.नो पार्किंग- 219

3.तीन सवारी-91

4.सीट बेल्ट- 35

5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-37

6.यातायात नियमों का उल्लंघन-53

7.गलत नंबर प्लेट-71
8.मागने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना-53
9.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना-06
10.परमिट शर्तों का उल्लंघन करना-06
11.मांगने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखा पाना-01
12.काली फिल्म-02
13.ओवर स्पीड-05
14.लाइसेंस ना होना-02
15.प्रेशर हार्न बजाना-12
16.वायु प्रदुषण-01
17.माडिफाइड साइलेंसर-02
18.बिना फिटनेस के वाहन चलाना-09
19.खतरनाक ढंग से वाहन चलाना-24
20.नो एंट्री-03
21.प्रदूषण सर्टिफिकेट ना दिखा पाना-01

यातायात नियमों के उलंघन में दिनांक 05.11.2024 को यातायात माह नवंबर के शुभारंभ के अवसर पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-1374

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-13,42,500/-₹ (तेरह लाख बयालीस हजार पांच सौ रुपए)